उत्तर प्रदेश सरकार

**उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड**

19 सी, तुलसी गंगा कॉम्पलेक्स, विधानसभा मार्ग,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश–226001

<u>सूचना/विज्ञप्ति</u>

**आरक्षी नागरिक पुलिस एवं आरक्षी पीएसी के पदों पर सीधी भर्ती–2018 के अन्तर्गत चयन परिणाम निर्गत किये जाने सम्बन्धी सूचना/विज्ञप्ति दिनांक 18–02–2019 में होमगार्ड क्षैतिज आरक्षण में चयनित अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में सूचना/विज्ञप्ति**

संख्याः पीआरपीबी–एक–1(131)/2018            दिनांकः मार्च 01 ,2019

उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ की सूचना/विज्ञप्ति दिनांकित 18–02–2019 द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस एवं आरक्षी पी0ए0सी0 के पदों पर सीधी भर्ती–2018 के अन्तर्गत विज्ञापित रिक्तियों के सापेक्ष चयन परिणाम बोर्ड की वेबसाईट पर प्रदर्शित किया गया था।

1– कतिपय चयनित अभ्यर्थियों द्वारा इस आशय का प्रार्थना पत्र बोर्ड में उपस्थित होकर दिये गये है कि उनके द्वारा आवेदन पत्र मे गलती से होमगार्ड के कालम में **NO** के स्थान पर **YES** हो जाने के कारण उनका चयन होमगार्ड श्रेणी के अन्तर्गत हो गया है जो गलत है। इन तथ्यों का संज्ञान लेते हुये बोर्ड द्वारा चयन सूची का परीक्षण करने पर पाया गया कि क्षैतिज आरक्षण का लाभ लेते हुये होमगार्ड श्रेणी में चयनित अभ्यर्थियों में से 165 अभ्यर्थी ऐसे है जो आवेदन पत्र में वर्णित उनकी जन्म तिथि के अनुसार आवेदन की अन्तिम तिथि 22–02–2018 को 21वर्ष से कम आयु के पाये गये है।

2– आरक्षी ना0पु0 एवं आरक्षी पीएसी के पदों पर सीधी भर्ती वर्ष 2018 के सम्बन्ध में ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने के संबंध में बोर्ड द्वारा निर्गत सूचना/विज्ञप्ति संख्या पीआरपीबीः एक–1(112) 2017 दिनांक 14–01–2018 के प्रस्तर 5.7– **<u>होमगार्ड्स</u>** के अनुसार " होमगार्ड्स को 05 प्रतिशत का क्षैतिज आरक्षण का लाभ उसी दशा में प्राप्त होगा जब वे इस भर्ती हेतु अन्यथा अर्ह हो, उनकी आयु न्यूनतम 18 वर्ष व अधिकतम 25 वर्ष हो तथा आवेदन की अन्तिम तिथि को उन्होंने होमगार्ड्स में कम से कम तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हों "।

3– उपरोक्त 165 अभ्यर्थी विज्ञप्ति की अपेक्षित आवश्यकता को पूर्ण नही करते है क्योंकि इन अभ्यर्थियों की आयु आवेदन की अन्तिम तिथि दिनांक 22–02–2018 को 21 वर्ष से कम है तथा होमगार्ड सेवा की न्यूनतम आयु 18वर्ष होने के दृष्टिगत होमगार्ड की तीन वर्ष की सेवा दिनांक 22–02–2018 तक पूर्ण कर लिया जाना किसी भी दशा में सम्भव नही है।

**अतः बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के कम में इन 165 अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन एवं चयन सूची से चयन निरस्त किया जाता है। इन 165 अभ्यर्थियों की सूची बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जा रही है। ऐसे अभ्यर्थियों के विरूद्ध अलग से जांच कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही प्रस्तावित है।**

4— उ0प्र पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि क्षैतिज आरक्षण लाभ लेकर चयनित हुये 232 अभ्यर्थी जो ऑनलाइन आवेदन पत्र में वर्णित जन्म तिथि के अनुसार आवेदन की अन्तिम तिथि 22—02—2018 को 21वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके थे उनके अभिलेखों का सत्यापन भी बोर्ड द्वारा गठित समिति के माध्यम से पुनः कराया जायेगा। इस सत्यापन की तिथि 05—03—2019 एवं स्थान उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ कार्यालय होगा। **इन 232 अभ्यर्थियों की सूची भी पृथक से बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जा रही है। अभ्यर्थी अपने समस्त मूल अभिलेखों एवं उनकी एक प्रमाणित छायाप्रति के साथ निर्धारित तिथि पर उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे।**

01/3/19

**अपर सचिव भर्ती,**
**उ0प्र0पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,**
**लखनऊ**